संख्या-3/2025/I/1076783/2025-50-1099/81/2023

प्रेषक,

मनीष चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल/
विकास दल, उ०प्र०,
लखनऊ।

2- निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

युवा कल्याण विभाग: **लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2025**

विषय:- खेल विभाग एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न आयुवर्ग (सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर) में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं को मा० सांसद व मा० विधायक खेल स्पर्धाओं से जोड़ते हुए आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

खेल प्रतियोगिताओं को और अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित एवं स्वीकार्य बनाये जाने के उद्देश्य से युवा कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1/720129/2024, दिनांक 16-08-2024 के प्रावधानानुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग (UPRSL) के अन्तर्गत सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग की विकास खण्ड, जनपद, जोन एवं राज्य स्तर पर 08 खेल विधाओं यथा-एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भारोत्तोलन, जूडो एवं बैडमिण्टन में महिला/बालिका एवं पुरूष/बालक श्रेणी में ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है।

2- खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसदीय क्षेत्र/विधान सभा क्षेत्र स्तर पर मा० सांसद खेल स्पर्धा/ मा० विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उनकी खेल प्रतिभा को निखारने तथा अनुशासन एवं खेल भावना का विकास करना है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग द्वार उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग (UPRSL) के अन्तर्गत खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1/720129/2024, दिनांक 16-08-2024 को संशोधित करते हुए खेल विभाग एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न आयु-वर्गों के अतंर्गत आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं को मा० सांसद खेल स्पर्धा एवं मा० विधायक खेल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्पर्धा से जोड़ते हुए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कराने का कष्ट करें:-

(1) संसदीय क्षेत्र स्तर पर मा० सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन खेल विभाग द्वारा एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर मा० विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया जाएगा। इस हेतु निम्नानुसार कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा:-

1- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	**-**	**अध्यक्ष**
2- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी	**-**	**सदस्य सचिव**
3- जिला युवा कल्याण अधिकारी	**-**	**सदस्य**
4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	**-**	**सदस्य**
5- जिला विद्यालय निरीक्षक	**-**	**सदस्य**
6- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	**-**	**सदस्य**

(2) उपरोक्तानुसार गठित कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता विधानसभा स्तर पर मा० विधायक खेल स्पर्धा के आयोजन हेतु पृथक से समिति गठित कर सकते है। उक्त समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में विकासखण्ड स्तर पर तैनात युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारियों को रखा जा सकता है।

(3) मा० सांसद खेल स्पर्धा के सफल आयोजन हेतु जनपद स्तर पर तैनात क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/ क्रीड़ाधिकारी/उपक्रीड़ाधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर मा० सांसद से सम्पर्क कर प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(4) विधान सभा क्षेत्र में आयोजित होने वाली मा० विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया जाएगा।

(5) मा०विधायक खेल स्पर्धा के सफल आयोजन हेतु जिला युवा कल्याण एंव प्रादेशिक विकास दल अधिकारी/ क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी प्रशासन से समन्वय स्थापित कर मा० विधायक से सम्पर्क कर प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(6) आठ खेल विधाओं यथा-एथेलेटिक्स,वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, फुटबॉल, व जूडो में विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों की उपलब्धता के अनुसार सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर आयुवर्ग में महिला/बालिका एवं पुरूष/बालक श्रेणी में विधान सभा स्तर पर मा० विधायक खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित कराया जाएगा। उक्त मा० विधायक खेल स्पर्धा सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के मा० जनप्रतिनिधि से विचार-विमर्श कर उनके अनुसार निर्धारित विकास खण्ड में कराया जाएगा।

(7) उत्तर प्रदेश सांसद खेल स्पर्धा एवं विधायक खेल स्पर्धा हेतु खेल विभाग के शासनादेश संख्या-06/2020/1187/बयालिस-2020-38/एस0पी030/84टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2020 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) मा० विधायक खेल स्पर्धा के विजयी खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले मा० सांसद खेल स्पर्धा में प्रतिभाग कराया जाएगा। मा० सांसद खेल स्पर्धा के आयोजन के उपरान्त विजेता खिलाड़ियों को जोन स्तर पर एवं जोन स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराते हुए नियमानुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा।

(9) मा० सांसद खेल स्पर्धा एवं मा० विधायक खेल स्पर्धा के आयोजन हेतु खेल विभाग एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बजट को संसदीय क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्रवार सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा, किन्तु जिन जनपदों में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी उस जनपद में जिला खेल विकास प्रोत्साहन समिति एवं तहसील खेल विकास प्रोत्साहन समिति से धनराशि प्राप्त की जाएगी।

(10) मा० सांसद खेल स्पर्धा एवं मा० विधायक खेल स्पर्धा तथा जोन एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न आयु वर्ग (सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर) में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में खेल संघों का यथावश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

4- कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न आयु वर्गों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का कष्ट करें।

5- युवा कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग (UPRSL) आयोजित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1/720129/2024, दिनांक 16-08-2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनीष चौहान
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल।
(3) समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, खेल विभाग।
(4) समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रोदशिक विकास दल अधिकारी।
(5) समस्त क्रीड़ाधिकारी, खेल विभाग।
(6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश |
(7) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश |
(8) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश |
(9) गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,
मनीष चौहान
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।